कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

कृषि भवन , मीठापुर, पटना - **800001**

ई-मेल–**diragri-bih@nic.in** वेबसाइट –**state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome** दूरभाष /फैक्स– **0621-2215895**

संचिका सं०- मो०–29 / 2019– 2889 **दिनांक -** 02– 7 ~~जून~~, 2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल, *आई०ए०ए०एस०,*
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)।
सभी जिला कृषि पदाधिकारी।

विषय : **वर्ष 2024–25 में अनावृष्टि / अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश।**

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या पी० पी० एम०–43 / 2022–76 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2024–25 में अनावृष्टि / अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश उपलब्ध कराते हुए निदेश है कि इसमें निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए डीजल अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

अनु० : कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2889 दिनांक : 02- 7 - 2024

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2889 दिनांक : 02 – 7 – 2024

प्रतिलिपि : सभी जिलों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2889 दिनांक : 02 – 7 – 2024

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 2889 दिनांक : 02-7-2024

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक(शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी० पी० एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक(शष्य) प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि०, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा(सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभाग के बेवसाइट पर अपलोड करने एवं सबंधित पदाधिकारियों को ईमेल से भेजने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कृषि विभाग

राज्य में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे/अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना–खरीफ 2024 के लिए कार्यान्वयन अनुदेश

सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में

वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित डीजल अनुदान योजना का स्वीकृत्यादेश इस कार्यालय के पत्रांक–76 दिनांक– 21.06.2024 के द्वारा निर्गत है।

1. योजना का लाभ :

1.1 खरीफ फसलों की सिंचाई **डीजल पम्पसेट** से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।

1.2 धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ देय होगा।

1.3 खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये प्रति एकड़ देय होगा।

1.4 यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा।

1.5 लाभुक किसान को कम–से–कम 100 रू० का भुगतान किया जायेगा।

1.6 यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा।

1.7 इस योजना का लाभ कृषि विभाग के DBT Portal में ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।

1.8 परिवार के किसी एक सदस्य को ही डीजल अनुदान का लाभ देय होगा। पति–पत्नी एवं उनके अवयस्क पुत्र/पुत्री को एक परिवार मानकर उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग–अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।

1.9 बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई हेतु क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान देय होगा।

2. अनुदेश :

2.1 वैसे किसान, जो पूर्व में www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए www.dbtagriculture.bihar.gov.in या Bihar Krishi App पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

2.2 डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तथा NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

2.3 वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद /मुखिया/सरपंच /पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित दस्तावेज की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

2.4 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

2.5 जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा।

2.6 डीजल अनुदान योजना खरीफ 2024 का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रकाशन एवं उसमें अंकित तिथि के पश्चात डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही अनुदान मान्य होगा। साथ हीं अन्तिम तिथि दिनाक 30.10.2024 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान का लाभ मान्य होगा।

3. ऑनलाईन आवेदन की विधि :

3.1 किसान, कृषि विभाग के वेबसाईट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध **"अनुदान के लिए आवेदन"** मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि **"डीजल अनुदान"** का चयन करेंगे अथवा **Bihar Krishi App** के माध्यम से आवेदन करेंगे।

3.2 डीजल अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा। सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ–साथ आवेदन प्रपत्र **"डिस्प्ले"** किया जाएगा।

3.3 किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र से ऑनलाईन डीजल अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाइल/लैपटॉप से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

3.4 किसान के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही डीजल क्रय संबंधी **Digital/Computerised Voucher** अपलोड किया जायेगा। **Digital/Computerised Voucher** योजना प्रांरभ एवं समाप्ति की तिथि के मध्य का होना चाहिए।

3.5 Online निबंधित किसान अनुमान्य अवधि में सिंचाई के लिए नियमानुसार निबंधित पेट्रोल पम्प विक्रेता से डीजल क्रय करेंगे एवं क्रय संबंधी Digital/Computerised Voucher ही प्राप्त करेंगे। इस Voucher में पेट्रोल पम्प के द्वारा किसान के निबंधन संख्या का अन्तिम 10 डिजीट का पूरा उल्लेख Voucher में करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित किसान के द्वारा इस Digital Voucher के उपर अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित किया जायेगा। आवेदक द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर सकने की स्थिति में संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक के द्वारा आवेदक के अंगूठे के निशान को सत्यापित करने की कार्रवाई की जायेगी। आवेदक द्वारा इस तरह पूर्ण किये गये Digital/Computerised Voucher को ही विभागीय Portal पर आवेदन के साथ Upload करेंगे। आवेदन पत्र में किसान द्वारा जिस खेत की सिंचाई के विरूद्ध डीजल अनुदान का दावा किया जायेगा, उस खेत के आस–पास खेती करने वाले किसानों में से दो किसानों का नाम प्रविष्टि किया जायेगा।

3.6 उपरोक्त कंडिका 3.5 में विहित प्रावधान जिसमें कम्प्यूटराइज्ड वाउचर पर किसान रजिस्ट्रेशन का अंतिम 10 डिजिट पेट्रोल पम्प द्वारा अंकित किया जाना है, उसमें कठिनाई होने की स्थिति में किसान के द्वारा स्वयं किसान निबंधन संख्या को वाउचर के उपर अपने नाम के साथ अंकित करेंगे एवं अपना हस्ताक्षर करेंगे।

3.7 डीजल अनुदान आवेदन के लिए सर्वप्रथम किसान मौसम का चयन (खरीफ) करेंगे, फसल के प्रकार (बिचड़ा, जूट, धान, मक्का, दलहन, तेलहन, सब्जी, सुगन्धित एवं औषधीय पौधे में से एक फसल) का चयन करेंगे और कुल जमीन के रकवा जिसमें डीजल से सिंचाई की गयी है, की प्रविष्टि करेंगे।

3.8 किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन करेंगे। इसका अर्थ यह है कि किसान को अलग–अलग पटवन के लिये अलग–अलग आवेदन करना होगा।

3.9 एक आवेदन में एक से अधिक पटवन के लिए अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में कृषि समन्वयक अपने स्तर से इसे संशोधित कर प्रथम/द्वितीय/तृतीय चुनाव करेंगे। इसका प्रावधान सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है।

3.10 किसान को तीन श्रेणियों (स्वयं, बटाईदार, स्वयं + बटाईदार) में बाँटा गया है। कोई भी किसान किसी एक श्रेणी के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।

3.10.1 "स्वयं" की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम प्रविष्ट करेंगे तथा Digital/Computerised डीजल पावती अपलोड करेंगे। रैयत किसानों को आवेदन करते समय वंशावली(पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या 14921 दिनांक 10.11.2023 के नियमानुसार निर्गत) अथवा लगान रसीद/LPC(आवेदन की तिथि से विगत तीन वित्तीय वर्षों (2023–24, 2022–23 एवं 2021–22)के अन्दर निर्गत) को अपलोड करना अनिवार्य है।

3.10.2 "बटाईदार" किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा और अगल–बगल के दो किसानों के नाम तथा Digital/Computerised पावती अपलोड

करेंगे। साथ ही बटाईदार/गैर रैयत किसान होने के दावा हेतु इस संबंध में निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच /पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज भी अपलोड करेंगे।

3.10.3 ''स्वयं + बटाईदार'' किसान को "स्वयं" के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल डीजल से सिंचित रकवा, अगल–बगल के दो किसानों के नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा गैर रैयत किसान होने संबंधी संयुक्त हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा Digital/Computerised डीजल पावती अपलोड करेंगे।

3.10.4 डीजल क्रय करने के उपरान्त प्राप्त डिजीटल पावती रसीद(Digital Voucher) अपलोड करने के पूर्व आवेदन पत्र में ऑनलाईन से डीजल के क्रय की मात्रा, पेट्रोल पम्प का नाम एवं प्रखंड तथा डिजीटल पावती रसीद(Digital Voucher) का क्रम संख्या और डीजल रसीद की तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा।

3.11 वास्तविक अनुदान की राशि का निर्धारण सत्यापन के पश्चात् किया जायेगा।

3.12 **"अंतिम सबमिट बटन"** पर क्लिक करते ही किसान को एस०एम०एस० के माध्यम से मोबाईल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाईन भेज दिया जाएगा।

3.13 **कुल रकवा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे (1 एकड़ = 100 डिसमिल)।**

3.14 किसान www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध **"आवेदन प्रिन्ट करें"** का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

3.15 किसान कभी भी वेबसाईट पर जाकर जमा किये गये आवदेन की पावती पंजीकरण संख्या के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3.16 आवेदन के अनुमोदन की जानकारी किसान को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम दी जाएगी।

4. आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया :

4.1 किसान द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत निर्धारित सभी शर्त्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुये कार्रवाई करेंगे।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है :–

4.1.1 आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भरा गया हो एवं निर्धारित नियमानुसार मात्र Digital/Computerised Voucher ही आपलोड किया गया हो।

4.1.2 Digital/Computerised Voucher में किसान निबंधन संख्या के अंतिम 10 डीजिट का उल्लेख किया गया हो। Digital/Computerised Voucher में किसान के द्वारा अपना हस्ताक्षर एवं पूरा नाम अंकित किया गया हो। किसान के द्वारा हस्ताक्षर नहीं कर सकने की स्थिति में अंगूठे के निशान का सत्यापन संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा किया गया हो तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए Digital/Computerised Voucher को विभागीय पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड किया गया हो।

4.1.3 बटाईदार/गैर रैयत की स्थिति में निर्धारित विहित प्रपत्र में संबंधित वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच /पंचायत समिति सदस्य में से एक जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड किया गया हो।

4.1.4 किसान के द्वारा क्रय किये गये डीजल का वास्तव में सिंचाई हेतु प्रयोग हुआ है इस संबंध में कृषि समन्वयक स्थल जांच कर जियो टैग फोटो + किसान का खेत संतुष्ट होने के पश्चात अपलोड करेंगे तथा तत्संबंधी तथ्य सत्यापन में अंकित करेंगे। कृषि समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसान द्वारा खेत का पटवन डीजल पंप के द्वारा किया गया है।

4.1.5 सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।

4.2 जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, उसी समय आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जायेगा। कृषि समन्वयक अधिकतम 8 दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित कर देंगे।

4.3 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अधिकतम 4 दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को ऑनलाईन अग्रसारित कर देंगे।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी अपने लॉगिन में प्राप्त सभी आवेदनों की जाँच 3 दिनों के अंदर कर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगे तथा कृषि विभाग को भुगतान हेतु अग्रसारित करेंगे।

4.5 डीजल अनुदान के दावे के भुगतान हेतु आवेदक किसान के गृह जिला के जिस पंचायत में पंजीकरण हुआ है उस पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे राजस्व जिला में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जायेगा तथा अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

4.6 कृषि समन्वयक द्वारा अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी एस०एम०एस० के माध्यम पंजीकरण के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

4.7 सत्यापन के समय डीजल क्रय से संबंधित मूल अभिश्रव किसानों से प्राप्त कर कृषि समन्वयक अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

4.8 सत्यापन में आवेदन में वर्णित रकवा कम पाने की स्थिति में कृषि समन्वयक अपने स्तर से इसे संशोधित कर सकेंगे इसकी व्यवस्था सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है।

4.9 अगर कृषि समन्वयकों द्वारा 8 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (auto forward) हो जायेगा।

4.10 अगर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा 4 दिनों के अंदर सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (auto forward) हो जायेगा। किसी भी स्तर से आवेदन auto forward होता है तो अनियमितता की स्थिति में संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी दोषी माने जायेंगे।

4.11 डीजल अनुदान हेतु पंजीकृत वैसे किसानों का आवेदन जिनका कृषि योग्य भूमि दो जिला में अवस्थित है, की स्थिति में जिस पंचायत में किसान को पंजीकृत किया गया है उसी पंचायत के कृषि समन्वयक द्वारा दूसरे जिला/प्रखंड/नगर क्षेत्र/पंचायत में जाकर उस किसान के दावे का सत्यापन किया जायेगा।

4.12 जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना किसान को उनके मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी।

4.13 अगर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा 3 दिनों के अंदर आवेदन का निष्पादन नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि आवेदन सही है और स्वतः आवेदन स्वीकृत होते हुए भुगतान हेतु कृषि विभाग को अग्रसारित हो जायेगा और कृषि विभाग 2 दिनों के अन्तर्गत भुगतान की अनुशंसा बैंक को कर देंगे।

4.14 यदि निर्धारित अवधि में कृषि समन्वयक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया जाता है, तो किसानों का अनुदान भुगतान हेतु आवेदन सीधे अग्रसारित (auto forward) होने की स्थिति में संबंधित कृषि समन्वयक/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

4.15 ऐसे सभी असत्यापित आवेदन पत्रों(auto forward) की जाँच भुगतान के उपरान्त निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर करा ली जाएगी तथा जाँच के क्रम में यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कृषि समन्वयक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई एवं उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

4.16 बैंक को आवेदन भेजने के अगले दिन भुगतेय राशि किसान के खाते में अन्तरित हो जायेगी, जिसकी सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से किसान को दी जायेगी।

4.17 जिला कृषि पदाधिकारी अपने स्तर से समय-समय पर किसानों को ऑन-लाईन पंजीकरण एवं आवेदन समर्पित करने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करेंगे।

4.18 भूमि सम्बन्धी त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकेंगे। इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय कृषकों के बीच कराया जाय।

4.19 कृषि समन्वयक के द्वारा इस योजना की कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में कार्रवाई ना कर गलत सत्यापन कर अग्रसारित करने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी उक्त कृषि समन्वयक के विरूद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

4.20 डी० बी० टी० कोषांग द्वारा प्रतिदिन ऐसे कृषि समन्वयकों की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी जो प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में शिथिलता बरत रहे हैं।

5. आवेदक किसान द्वारा की गई शिकायत का निराकरण :

5.1 यदि किसी किसान को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत सम्बन्धित डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों का 15 दिनों के अंदर संबंधित कृषि समन्वयक के द्वारा जांच की जायेगी। जो किसान वांछित अर्हता रखते हैं उन्हें अनुदान के भुगतान हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

5.2 पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:–

i.	मुखिया	–	अध्यक्ष
ii.	सरपंच	–	सदस्य
iii.	पंचायत वार्ड के सदस्यगण	–	सदस्य
iv.	विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	–	सदस्य
v.	विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	–	सदस्य
vi.	पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	–	सदस्य
vii.	संबंधित कृषि समन्वयक	–	सदस्य

5.3 नगर क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:–

I.	नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	–	अध्यक्ष
II.	नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य	–	सदस्य
III.	विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	–	सदस्य
IV.	नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी	–	सदस्य
V.	संबंधित कृषि समन्वयक	–	सदस्य

6. अनुश्रवण :

6.1 डीजल अनुदान योजना का नियमित अनुश्रवण विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर किया जायेगा।

6.2 योजना के लाभार्थी कृषकों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कम से कम 10%, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा कम से कम 7%, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कम से कम 5%, प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कम से कम 2% रैण्डम जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

6.3 जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा। प्रत्येक सप्ताह में आयोजित होने वाले कृषि टास्क फोर्स की बैठक में समीक्षा करते हुये आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लेंगे। साथ ही कृषि विभाग के पदाधिकारियों के अलावे समय–समय पर जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों को प्राधिकृत कर डीजल अनुदान के लाभार्थी कृषकों की जांच रैन्डम रूप से की जायेगी।

6.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा डीजल अनुदान कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु प्रत्येक दिन सुबह शाम आवेदनों के निष्पादनों की पंचायतवार समीक्षा की जायेगी। डीजल अनुदान से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों का युद्ध स्तर पर निष्पादन किया जायेगा।

6.4 राज्य स्तर पर डीजल अनुदान योजना का नियमित अनुश्रवण संयुक्त कृषि निदेशक(सांख्यिकी) एवं नोडल पदाधिकारी, डी० बी० टी० कोषांग द्वारा किया जायेगा।

6.5 डी० बी० टी० कोषांग द्वारा नियमित रूप से आवेदन संग्रहण, सत्यापन एवं राशि अंतरण से संबंधित प्रतिवेदन उच्चाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

6.6 डी० बी० टी० कोषांग द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्धारित जाँच हेतु सॉफ्टवेयर में हीं प्रपत्र विकसित किया जायेगा तथा ऑनलाइन हीं सत्यापन का कार्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

6.7 राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

———————————